न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी का नाम :–श्री प्रमोद कुमार(आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 82 / 2014

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2008 / 00062

वादीगण

1 मृतक रामूड़ा उर्फ रामू पुत्र जगरूप
वे कायम मुकाम व वारिसान्
अ–भाखराराम पुत्र रामूड़ा उर्फ रामू
ब–किशनाराम पुत्र रामूड़ा उर्फ रामू
स–मालाराम पुत्र रामूड़ा उर्फ रामू
द–बाबूलाल पुत्र रामूड़ा उर्फ रामू
य–गेंरादेवी पत्नी रामुड़ा उर्फ रामू
जातियान–बिश्नोई, साकिनान्–
पालड़ी सोलकियांन एवं काछेला
तहसील–सांचौर, जिला–जालोर

बनाम

प्रतिवादीगण

1 मृतवफी रूगनाथ पुत्र जगरूपा उर्फ
जगरूप कौम–बिश्नोई, साकिन–पालड़ी
सोलंकियान के कायम मुकाम व वारिसान्
1 लादूराम पुत्र रूनगाथ, बिश्नोई
2 चेनाराम पुत्र रूगनाथ, बिश्नोई
3 लाडूराम पुत्र रूगनाथ, बिश्नोई
4 सुवटी बैवा रूनगाथ, बिश्नोई
साकिनान क्रमश प्रतिवादी संख्या 1(2)
साकिन–काछेला एवं अन्य पालड़ी
सोलंकियान, तहसील–सांचौर, जिला–जालोर
2 मृतक जयराम उर्फ जेराम पुत्र
जगरूपा उर्फ जगरूप बिश्नोई,
निवासी–कारोला के कायम मुकाम
01 खंगाराराम पुत्र जयराम उर्फ
जेराम, जाति–बिश्नोई, निवासी–कारोला
तहसील–सांचौर, जिला–जालोर
03 वगता पुत्र जगरूपा उर्फ जगरूप
निवासी–काछेला
4 बाबुलाल पुत्र अमलू, जाति–बिश्नोई
निवासी–पालड़ी सोलंकियान
5 हापूराम पुत्र हीराजी, जाति–बिश्नोई
निवासी–पालड़ी सोलंकियान, तहसील–
सांचौर, जिला–जालोर
6 सरकार जरिये तहसीलदार सांचौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod
Date: 2025.04.24 17:02:33
Reason: SelfAttested

दावा बाबत् अन्तर्गत धारा 40, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

तारीख रजु :– 19.07.2006

उपस्थिति :–

1. वादीगण की और विद्वान अधिवक्ता श्री सदराम बिश्नोई उपस्थित।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

2. प्रतिवादी संख्या 01/2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जालाराम पूनिया उपस्थित।

3. राज पैरोकार नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

:- निर्णय :- दिनांक :- 19.02.2025

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी 1, 2, 3 सगे भाई है जो जगरूपा उर्फ जगरूप के जायन्दा लडके है प्रतिवादी रूगनाथ फौत हो चुका है जिसके कायम मुकाम लादूराम, चेनाराम, लाडूराम व सुवटी है, चारों भाईयों के नाम से प्रथम सेटलमेंट में वांके सरहद पालडी सोलंकियान में पुराना खेत खसरा संख्या 220 रकबा 8 बिघा नवीन खसरा संख्या 501 रकबा 2.51 हैक्टेयर जो पुराना खसरा संख्या 220, 221, 223 रकबा क्रमशः 8 बीघा, 2 बिस्वा, 7 बीघा 10 बिस्वा, को मिलाकर बनाया है पुराना खसरा संख्या 137 रकबा 12 बीघा जिनके नवीन खसरा संख्या 354 रकबा 0.86 हैक्टेयर, खसरा संख्या 355 रकबा 1.08 हैक्टेयर के बने है। इस प्रकार प्रथम सेटलमेंट के पुराना खसरा संख्या 220 रकबा 8 बीघा, खसरा संख्या 223 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा, खसरा संख्या 137 रकबा 12 बीघा, खसरा संख्या 221 रकबा 2 बिस्वा जुमले रकबा 27 बिघा 14 बिस्वा भूमि का पट्टा संवत 2012 से 2031 तक चारों भाई रूगनाथ, जयराम, वगता रामु उर्फ रामुड़ा पिसरान जगरूप उर्फ जगरूपा के नाम से बना वादी का आधोचार ग्राम काछेला में होने से राजस्व रेकर्ड का ध्यान वादी के अन्य भाई रूगनाथ आदि रखते थे। हल्का पटवारी ने नया चौसाला संवत् 2019 से 2022 का तैयार करते वक्त वादी का नाम "रामु" हटाकर उसके भाई वगता के साथ "वगताराम" जोड़ दिया व इस प्रकार से हल्का पटवारी की लिपिकीय भूल के कारण संवत् 2022 के पश्चात वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में से हटाकर भाई वगता के साथ जोड़ दिया जो हल्का पटवारी की एक लिपिकीय भूल है जबकि वादी के अन्य खेत खसरा संख्या 145, 11, 247 में उसके अन्य भाई रूगनाथ, जैराम, वगता के साथ "रामुड़ा" चल रहा है यह नाम निरन्तर आज दिन तक चलता रहा किन्तु खाता संख्या 98 में हल्का पटवारी ने गलती कर वादी का नाम हटा दिया व भाई वगता के साथ " वगताराम" जोड़ दिया जो एक भारी लिपिकीय भूल है जिससे कभी भी सुधारा जा सकता है किन्तु वादी के अन्य भाई जैराम, रूगनाथ वगता ने मिलकर गलत ईन्द्राज का फायदा उठकार भूमि को गलत तरीके से हस्तांतरण कर दी जो ऐसा हस्तांतरण वादी के लिए बेअसर है जबकि लगातार उक्त भूमि में वादी का 1/4 हिस्सा निरन्तर चला आ रहा है। पुराना खेत खसरा संख्या [illegible] 8 बिघा में वादी का 1/4 हिस्सा अनुसार 2 बीघा भूमि, खसरा [illegible] 1/4 हिस्सा अनुसार 1 बीघा 18 बिस्वा भूमि खसरा [illegible] से 1/4 हिस्सा अनुसार 3 बीघा भूमि खसरा संख्या 221 रकबा 2 बिस्वा में से वादी [illegible].25 बिस्वा भूमि जुमले रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा भूमि वादी के बंट में चली आ रही है। खसरा संख्या 137 रकबा 12 बीघा भूमि में से वादी ने प्रतिवादी रूगनाथ व वगता का संपूर्ण हिस्सा यानि 6 बीघा भूमि वादी ने खरीद ली जिसका नामान्तरकरण संख्या 189 दिनांक 15.01.1987 को वादी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.04.24 17:02:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

नाम होकर वादी ने यह भूमि प्रतिवादी हापुराम को बेचान कर दी इस प्रकार अब उक्त वर्णित खसरा नंबरान में वादी का 1/4 हिस्सा अनुसार 6 बीघा 18 बिस्वा भूमि का वादी हकदार है किन्तु गलत राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज होने के कारण प्रतिवादी जैराम ने खसरा संख्या 137 रकबा 12 बीघा में से 1/3 हिस्सा जो अपना संपूर्ण हिस्सा होना बताकर प्रतिवादी बाबुलाल पुत्र अमलुराम को बेचान कर दी जो गलत है चुंकि 1/3 हिस्सानुसार 12 बिघा का 4 बिघा होता है जबकि खसरा संख्या 137 में जैराम का 1/4 हिस्सा ही था व 1/4 हिस्सा की 3 बीघा भूमि तक ही बेचने का प्रतिवादी जैराम को अधिकार था व इस प्रकार वादी की 1 बिघा भूमि प्रतिवादी जयराम ने प्रतिवादी बाबुलाल को बेचान कर दी जो अवैध है व इसी प्रकार खसरा संख्या 220 रकबा 8 बीघा, खसरा संख्या 223 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 221 रकबा 2 बिस्वा में प्रतिवादी जैराम ने उसका 1/3 हिस्सा की भूमि जो संपूर्ण हिस्सा बताकर प्रतिवादी रूगनाथ को तर्क कर दी जबकि वास्तविकता यह है कि इस भूमि में प्रतिवादी जैराम का 1/3 हिस्सा न होकर 1/4 हिस्सा ही था व इस प्रकार वादी की भूमि भी राजस्व रेकर्ड में वादी के नाम न होने के कारण एवं लिपिकीय भूल के कारण नाम हटा दिये जाने के कारण का तर्कनामा प्रतिवादी जैराम ने रूगनाथ को कर दिया यह भी कानून विपरित होने से ऐसा तर्कनामा वादी के लिए बेअसर है जबकि आज दिन तक वादी उसकी संपूर्ण भूमि 6 बिघा 18 बिस्वा पर काश्त काबिज है। उपरोक्त वर्णित भूमि पुराना खसरा संख्या 220, 223, 137, 221 जिसके नवीन खेत खसरा संख्या 500, 501, 354, 355 रकबा क्रमशः 0.03, 2.51, 0. 86, 1.08 जूमले रकबा 4.48 हैक्टेयर भूमि में 1/4 हिस्सानुसार 1.12 हैक्टेयर भूमि यानि 6 बीघा 18 बिस्वा बंट में आती है किन्तु प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 4 आये दिन टंटा फसाद करते है व कहते है कि हमने जितनी भूमि खरीद की है उस पर कब्जा करेंगे तथा दिनांक 10.07.2006 को प्रतिवादीगण हमलावर होकर आये व कब्जा छोड़ देने की धमकी दी।

मौजा पालड़ी सोलंकियान के पुराना खसरा संख्या 220 रकबा 8 बीघा, खसरा संख्या 221 रकबा 2 बिस्वा, खसरा संख्या 223 रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा को मिलाकर नवीन खसरा संख्या 501 रकबा 2.51 हैक्टेयर बनाया गया है। पुराना खसरा संख्या 137 रकबा 12 बिघा नवीन खेत खसरा संख्या 355 रकबा 1.08 हैक्टेयर जुमले रकबा 27 बीघा 14 बिस्वा यानि 4.48 हैक्टेयर भूमि में मुझ वादी का प्रथम सेटलमेंट से 1/4 हिस्सा होने से रकबा 6 बिघा 18 बिस्वा पर वादी का कब्जा होने से किन्तु ह[illegible] चौसला तैयार करते वक्त भूल से वादी का नाम "रामू" को वगता के साथ [illegible] जोड़ देने से नाम हटाया गया है जो अवैध तरीके से हटाया [illegible] बाबत किसी सक्षम अदालत का कोई आदेश नहीं था। इस लिपिकीय भूल के कारण प्रतिवादीगण ने समय समय पर भूमि तर्कनामा एवं बेचान के जरिये हस्तांतरण की है जो वादी के लिए प्रभावहीन होने से वादी उसकी 6 बीघा 18 बिस्वा का हकदार है तथा काश्त काबिज होते हुए प्रतिवादीगण द्वारा खेत छोड़ने की एलानियां धमकियां देने से विनायवाद बमुकाम पालड़ी सोलंकियान पैदा हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.04.24 17:02:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट्रेक) सांचौर

अन्त में वादी ने इस्तदुआ चाही की वांके सरहद पालडी सोलंकियान का पुराना खेत खसरा संख्या 220, 223, 221 रकबा क्रमशः 8 बीघा, 7 बीघा, 12 बिस्वा, 2 बिस्वा मिलाकर नवीन खेत खसरा संख्या 501 रकबा 2.51 हैक्टेयर भूमि व पुराना खेत खसरा संख्या 137 रकबा 12 बिघा नवीन खेत खसरा संख्या 354 रकबा 0.86 हैक्टेयर, खसरा संख्या 355 रकबा 1.08 हैक्टेयर जुमले रकबा 27 बीघा 14 बिस्वा अर्थात् 4.48 हैक्टेयर में वादी का प्रथम सेटलमेंट से ही 1/4 हिस्सा होने से 1/4 हिस्सानुसार वादी 1.12 हैक्टेयर भूमि प्राप्त करने का हकदार होने से खातेदारी की डिक्री वादी के हक में सादिर फरमावें व खसरा संख्या 137 रकबा 12 बीघा में से प्रतिवादी रूगनाथ एवं वगता की संपूर्ण भूमि वादी ने खरीद ली जिसका नामान्तरकरण संख्या 189 दिनांक 15.01.1987 वादी के पक्ष में होकर वादी द्वारा प्रतिवादी हापुराम को बेचान कर देने से हापुराम को बेचान की गई भूमि का फैसला हापुराम के नाम से किया जावें तथा वादग्रस्त आराजी में वादी का नाम प्रथम सेटलमेंट में उसके अन्य भाईयों के साथ साथ संवत् 2012 से 2031 तक चला आ रहा था किन्तु हल्का पटवारी ने संवत् 2019 से 2022 की जमाबंदी चौसला तैयार करते वक्त गलती से वादी का नाम रामु हटाकर प्रतिवादी वगता के साथ "वगताराम" जोड़ दिया जो एक लिपिकीय भूल होने से वादी का नाम पुनः राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का आदेश तहसीलदार सांचौर को जारी फरमावें तथा वादी के कब्जे काश्त की भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं करें इस हेतु उनको स्थाई निषेधाज्ञा के जरिये पाबंद फरमावें।

वाद पेश करने के पश्चात वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण एक (1 से 4) 3, 5 व 6 ने उपस्थित होकर जवाब दावा पेश किया।

प्रतिवादी संख्या एक (1 से 4) ने जवाब दावा पेश किया, जिसके तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि मौजा पालड़ी सोलंकियान के पुराना खेत खसरा संख्या 220 जिसके नवीन खेत खसरा संख्या 501 रकबा 2.51 हैक्टेयर, खसरा संख्या पुराना 220, 221, 223, 137 जो रूगनाथ जैराम व वगताराम पिसरान जगरूपा के नाम से शुरू से ही खातेदारी की चली आ रही है जिसमें वादी रामु उर्फ रामुड़ा के नाम से कोई खातेदारी दर्ज नहीं है और न ही इस भूमि पर वादी का कब्जा काश्त है वादी के नाम ग्राम काछेला में भूमि आई हुई है तथा ग्राम पालड़ी सोलंकियान में भी वादी के नाम अलग भूमि आई थी जो वादी ने बेचान क[illegible] भूमि पर हमारा पुराना कब्जा काश्त है। वादी ने हमारी भू[illegible] अंतराल बाद मिथ्या वाद प्रस्तुत किया गया है जो चलने योग्य नहीं है। संवत [illegible] से 2022 तक चौसला तैयार करते वक्त राजस्व अधिकारियों ने किसी प्रकार की कोई [illegible] नहीं की है। वगता के साथ वगताराम जोड़ देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। राजस्व रेकर्ड में स्पष्ट तौर से वगताराम लिखा हुआ है। मात्र वगता व राम के बीच में जगह रहने से उसका अर्थ यह नहीं निकलता है कि वह रामू का नाम हो इस प्रकार उक्त आराजी में वादी का 1/4

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.04.24 17:02:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट्रेक) सांचौर

हिस्सा होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है तथा उक्त आराजी में प्रतिवादीगण रूगनाथ, जैराम व वगताराम का 1/3, 1/3, 1/3 हिस्सा होने से तर्कनामा विधिवत रूप से किया गया है अन्त मे प्रतिवादीगण ने मजिद उजरात में बताया कि वादग्रस्त आराजी पर वादी का कब्जा काश्त नहीं होने से तथा उसका नाम राजस्व रेकर्ड में नहीं होने से व विनायवाद अस्पष्ट होने से तथा वाद म्याद बाहर होने से खारिज फरमावें।

प्रतिवादीगण वगता व हापुराम ने उनकी और से वाद को स्वीकार करते हुए इकबाली जवाब पेश कर निवेदन किया कि माफीक वाद की डिक्री वादी के पक्ष में सादिर की जाती है तो हमें कोई उजर एतराज नहीं है।

प्रतिवादी राज पैरोकार की और से जवाब पेश कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में सरकार का कोई हित प्रभावित नहीं होने से तथा प्रकरण में तहसीलदार सांचौर फॉर्मल पक्षकार बनाया गया है।

उपरोक्त वाद एवं जवाब दावा के आधार पर उक्त प्रकरण में निम्न तनकीयात कायम की गई।

1. तनकी संख्या आया वांके सरहद पालड़ी सोलंकियान का पुराना खेत खसरा संख्या 220, 223, 221, के नवीन खसरा संख्या 501, पुराना खसरा संख्या 137 नवीन खसरा संख्या 354, खसरा संख्या 355 जुमले रकबा 27 बिघा 14 बिस्वा अर्थात् 4.40 हैक्टेयर भूमि में वादी का प्रथम सेटलमेंट से 1/4 हिस्सा होने से 1/4 हिस्सा अनुसार वादी का 1.12 हैक्टैयर भूमि प्राप्त करने का हकदार है। (जिम्मे वादी)
2. तनकी संख्या 02 आया खसरा संख्या 137 में से प्रतिवादी रूगनाथ व वगता की संपूर्ण आराजी वादी ने खरीद कर प्रतिवादी संख्या 5 हापूराम को बैचान कर दी उक्त भूमि की खातेदारी हापूराम को दी जाती है तो वादी को कोइ उजर एतराज नहीं है। (जिम्मे वादी)
3. तनकी संख्या 03 आया वादग्रस्त आराजी में प्रथम सेटलमेंट में वादी का नाम अन्य भाईयों के साथ–साथ मिसल बंदोबस्त संवत् 2012 से 2031 में रूगनाथ, जैराम, वगता, रामू पिसरान जगरूपा चल रहा था किन्तु पटवारी ने संवत् 2019 से 2022 की जमाबंदी में गलती से "रामू" वादी का नाम हटाकर प्रतिवादी वगता के साथ "वगताराम" जोड़ दिया जो एक लिपिकीय भूल होने से वादी पुनः [illegible] है। (जिम्मे वादी)
4. तनकी संख्या 04 आया वादी के कब्जा काश्त में [illegible] इस हेतु वादी स्थाई निषेधाज्ञा पाने का हकदार है। (जिम्मे वादी)
5. तनकी संख्या 05 आया वादग्रस्त आराजी शुरू से ही रूगनाथ, जैराम, वगताराम पिसरान जगरूपा के नाम से खातेदारी चली आ रही है। जिसमें वादी खातेदार नहीं है। (जिम्मे प्रतिवादी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.04.24 17:02:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट्रेक) सांचौर

6. तनकी संख्या 06 आया ग्राम पालडी सोलंकियान में वादी के नाम अलग भूमि आई हुई थी जिसे वादी ने बैचान कर दी है। (जिम्मे प्रतिवादी)

प्रकरण में वाद के दौराना ट्रायल वदी रामु उर्फ रामुडा की मृत्यु होने पर वादी के कायम मुकाम भाखराराम, किशनाराम, मालाराम, बाबुलाल, गैरो देवी को रेकर्ड पर वादीगण के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया व प्रकरण में प्रतिवादी जैराम फौत होने पर उसके कायम मुकाम खंगाराराम को प्रतिवादी के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया तथा प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 (4) सुवटी फौत होने पर तथा सुवटी के वारीसान् वाद में पूर्व से पक्षकार संयोजित होने से उसे डिलीट किया प्रकरण में वादी की और से गवाह पीडब्ल्यू 1 रामु, पीडब्ल्यू 2 वगता, पीडब्ल्यू 3 पूनमाराम, पीडब्ल्यू 4 हापुराम, के बयान लेखबद्व किये गये तथा वादी की ओर से मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श पी 1, जमाबंदी प्रदर्श पी 2, मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श पी 3, जमाबंदी प्रदर्श पी 4, खतौनी बंदोबस्त संवत् 2012 से 2031 प्रदर्श पी 5, जमाबंदी संवत् 2019 से 2022 प्रदर्श पी 6, जमाबंदी प्रदर्श पी 7 जमाबंदी, जमाबंदी संवत् 2027 से 30 प्रदर्श पी 8, जमाबंदी संवत् 2031 से 2034 प्रदर्श पी 9, जमाबंदी संवत् 2038 से 2041 प्रदर्श पी 10, आधार जमाबंदी प्रदर्श पी 11, आधार जमाबंदी प्रदर्श पी 12, जमाबंदी संवत् 2055 से 2058 प्रदर्श पी 13, पेश कर प्रदर्शित करवाये गये तथा प्रतिवादीगण की ओर से गवाह डीब्ल्यू 1 चेनाराम, डीब्ल्यू 2 प्रकाश कुमार के बयान लेखबद्व करवाये गये तथा प्रतिवादीगण की ओर से खतौनी बंदोबस्त ईएक्सडी 1, जमाबंदी संवत् 2013 से 2016 ईएक्सडी 2, जमाबंदी संवत् 2038 से 2041 ईएक्सडी 3, जमाबंदी संवत् 2027 से 2030 ईएक्सडी 4, जमाबंदी संवत् 2020 से 2024 ईएक्सडी 5, मिलान क्षैत्रफल ईएक्सडी 6, जमाबंदी संवत् 2059 से 2062 ईएक्सडी 7, जमाबंदी ईएक्सडी 8, जमाबंदी, ईएक्सडी 9 तथा बिघोड़ी ईएक्सडी 10 व 11 जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 रसीदान ईएक्सडी 12 से लगातार ईएक्सडी 29 पेश कर प्रदर्शित करवाये गये।

प्रकरण में उभयपक्षकारान् के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने अपने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी के पिता रामू उर्फ रामुड़ा व प्रतिवादी 1 (1 से 4) [illegible] व प्रतिवादी वगता सगे भाई थे जो जगरूपा उर्फ जगरूप के जायन्दा [illegible] दी एवं प्रतिवादी के सामलाति खातेदारी के खेत मौजा पाल[illegible] संख्या 220 रकबा 8 बीघा नवीन खेत खसरा संख्या 501 रकबा 2.51 हेक्टेयर जो पुराना खसरा संख्या 220, 221, 223 रकबा क्रमशः 8 बीघा, 2 बिस्वा, 7 बीघा 10 बिस्वा को मिलाकर बनाया गया पुराना खसरा संख्या 137 रकबा 12 बीघा जिसके नवीन खसरा संख्या 354 रकबा 0.86 हैक्टेयर व खसरा संख्या 355 रकबा 1.08 हेक्टैयर बने इस प्रकार प्रथम सेटलमेंट के पुराना खसरा संख्या 220 रकबा 8 बीघा, खसरा संख्या 223 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा व

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.04.24 17:02:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

खसरा संख्या 137 रकबा 12 बीघा, खसरा संख्या 221 रकबा 2 बिस्वा जुमले रकबा 27 बीघा 14 बिस्वा भूमि का पट्टा संवत् 2012 से 2031 वादी व उसके भाई रूगनाथ, जैराम, वगता रामु उर्फ रामुडा के नाम से बना जिसकी खतौनी बंदोबस्त वादी की और से प्रदर्श पी 5 पेश की गई है से स्पष्ट है कि उपरोक्त वादग्रस्त आराजी में वादीगण के स्व. पिता रामू उर्फ रामुडा का 1/4 हिस्सा आया हुआ है किन्तु वादी की अन्य भूमि ग्राम काछेला में होने से वादी का आधोचार ग्राम काछेला में होने से उसे राजस्व रेकर्ड का ध्यान नहीं रहा तथा हल्का पटवारी द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी का नया चौसाला संवत् 2019 से 2022 तैयार करते वक्त वादी का नाम "रामू" हटाकर उसके भाई वगता के साथ "वगताराम" जोड दिया जो एक लिपिकीय भूल है जिसमें सुधारा जाना न्यायसंगत है जबकि वादी के अन्य खेत खसरा संख्या 145 इत्यादि में वादी एवं उसके अन्य भाई रूगनाथ जैराम वगता के साथ "रामुडा" चला रहा है तथा ऐसी लिपिकीय भूल को कभी भी सुधारा जा सकता है किन्तु प्रतिवादीगण ने उक्त गलत इन्द्राज का नाजायज फायदा उठाकर भूमि को गलत तरीके से हस्तांतरण कर दी जबकि उक्त आराजी में वादीगण के पिता का 1/4 हिस्सा निरन्तर चला आ रहा है तथा पुराना खेत खसरा संख्या 220 रकबा 8 बीघा में वादीगण के पिता का 1/4 हिस्सानुसार 2 बीघा भूमि व इसी प्रकार अन्य खसरा नंबरान 223, 137, 221 इत्यादि में 1/4 हिस्सानुसार वादीगण के पिता की भूमि जुमले 6 बीघा 18 बिस्वा बंट में चली आ रही है तथा खसरा संख्या 137 रकबा 12 बीघा भूमि में से वादी के स्व. पिता रामू उर्फ रामुड़ा ने प्रतिवादी रूगनाथ व वगता का संपूर्ण हिस्सा खरीद किया जिसका नामांतरकरण संख्या 189 वादी के पक्ष में भरा गया तथा उक्त आराजी वादीगण के पिता ने हापुराम को बेचान कर दी तथा उक्त वर्णित खसरा नंबर में अब वादीगण का 1/4 हिस्सानुसार 6 बीघा 18 बिस्वा भूमि के वादीगण हकदार है किन्तु राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज होने के कारण प्रतिवादी जैराम ने खसरा संख्या 137 में उसका 1/3 हिस्सा बताकर भूमि गलत तरीके से बाबुलाल को बेचान कर दी जबकि उक्त आराजी में जैराम का 1/3 हिस्सा न होकर 1/4 हिस्सा ही था तथा उसे 1/4 हिस्से की 3 बीघा भूमि तक ही बेचने का अधिकार था। इस प्रकार वादीगण की 1 बिघा भूमि प्रतिवादी ने गलत तरीके से बेचान कर दी जो अवैध है। इसी प्रकार खसरा संख्या 220, 223, 221 में प्रतिवादी जैराम ने उसका 1/3 हिस्सा बताकर प्रतिवादीगण को भूमि तर्क कर दी गई जबकि उक्त आराजी में भी प्रतिवादी जयराम का 1/3 हिस्सा न होकर 1/4 हिस्सा ही था तथा उसे 1/4 हिस्से तक का ही हकतर्क करने का अधि[illegible] ऐसा हकतर्कनामा वादीगण के लिए बेअसर है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.04.24 17:02:33 IST
Reason: SelfAttested

अतः मौजा पालड़ी सोलंकियान के पुराना खेत खसरा संख्या 220, 223, 221 रकबा क्रमशः 8 बिघा, 7 बीघा 10 बिस्वा, 2 बिस्वा मिलाकर नवीन खेत खसरा संख्या 501 रकबा 2.51 हैक्टेयर, पुराना खसरा संख्या 137 रकबा 12 बीघा के नवीन खसरा संख्या 354 रकबा 0.86 हैक्टेयर खसरा संख्या 355 रकबा 1.08 हैक्टेयर जुमले रकबा 4.48 हैक्टेयर में वादी 1/4 हिस्से की भूमि की खातेदारी पाने का हकदार होने से खातेदारी की

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) [illegible]

डिक्री वादीगण के पक्ष में सादिर फरमावें तथा प्रथम सेटलमेंट में मिलान बंदोबस्त संवत् 2012 से 2031 में रघुनाथ जयराम, वगता, रामु पिसरान जगरूपा के नाम खातेदारी दर्ज थी किन्तु तत्कालीन हल्का पटवारी ने 2019 से 2022 की जमाबंदी चौसाला तैयार करते वक्त गलती से रामु नाम हटाकर वगता के साथ ''वगताराम'' जोड दिया जिससे सुधारने हेतु तथा तत्पश्चात प्रतिवादीगण द्वारा बेचान व हकतर्क के जरिये करवाये गये राजस्व रेकर्ड में समस्त इन्दार्जात को निरस्त करने हेतु तहसीलदार सांचौर के नाम आदेश जारी फरमावें साथ ही वादीगण की उक्त 1/4 हिस्सा भूमि में प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी न करें इस हेतु प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी फरमावें।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने उक्त तथ्यों का घोर विरोध करते हुए अपनी बहस में अपने जवाब दावा के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी की खातेदारी संवत् 2012 से 2031 में हम प्रतिवादीगण के नाम चली आ रही है। वादीगण के पिता के नाम ग्राम काछेला में अन्य भूमि आई हुई है उक्त भूमि में वादीगण या उसके पिता का कोई लेना देना नहीं था न ही हल्का पटवारी द्वारा कोई लिपिकीय भूल की है अगर हल्का पटवारी द्वारा ऐसी भूल की होती तो वादी इतने लंबे अंतराल तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की वादी द्वारा उक्त वाद लंबे अंतराल में पेश किया गया है जो स्पष्टतया म्याद बाहर है तथा हम प्रतिवादीगण के विरूद्व कोई विनायवाद उत्पन्न नहीं होता है। अतः वादी का वाद मय खर्चा खारिज फरमावें।

हमने उभयपक्षकारान् की बहस सुनी तथा दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का व साक्ष्यों का गहनता से भलीभांति अध्ययन व अवलोकन किया गया तथा तकनीयात वाद निर्णय निम्न प्रकार है :–

<u>तनकी संख्या 01 :–</u> उक्त तनकी सिद्व करने का जिम्मा वादीगण पर होने से इस संबंध में वादीगण की और से खतौनी बंदोबस्त संवत् 2012 से 2031 प्रदर्श पी 5 पेश की जिसमें खाता संख्या 57 में रूगनाथ, जेराम, वगता, रामुड़ा पिसराम जगरूप 1/2 व लूम्बा वल्द काछबा 1/2 कौम बिश्नोई सा. देह खातेदार दर्ज है व इसी प्रकार इसी खतौनी बंदोबस्त में खाता संख्या 56 में रूगनाथ, जैराम, वगता, राम पिसरान जगरूप कौम बिश्नोई सा.देह बराबर खातेदार जिसमें खसरा संख्या 220, 223, 137, 221 दर्ज है व इसी प्रकार जमाबंदी संवत् 2019 से 2022 प्रदर्श पी 6 जिसके खाता संख्या 98 में खसरा संख्या 220, 223, 137, 221 रूगनाथ, जैराम, वगताराम पिसरान जगरूपा कौम बिश्नोई सा. देह खातेदार दर्ज है व इसी प्रकार खाता संख्या 99 में रूगनाथ, जेराम, वगता रामुड़ा पिसरान जगरूपा 1/2 दर्ज है तथा वादीगण की और से पेश मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श पी1 में पुराना खेत खसरा संख्या 220, 221, 223 से नवीन खेत खसरा संख्या 501 रकबा 2.51 हैक्टेयर व पुराना खेत खसरा संख्या 137 से नवीन खेत खसरा संख्या 354 रकबा 0.86 हेक्टेयर, खसरा संख्या 355 रकबा 1.08 हैक्टेयर नवसृजित होना साबित है इसी प्रकार वादीगण की और से प्रस्तुत गवाह

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.04.24 17:02:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

पीडब्ल्यू 1 रामु पुत्र जगरूपा ने अपने सशपथ बयानों में भी बताया कि हम 4 भाई रूगनाथ, जैराम, वगता व मैं रामु हु हम चारों के पालडी सोलंकियान में 6–7 टुकडे के खेत आये हुए है कुल देशी 7 बिघा जमीन है। मेरे बंट में 1/4 हिस्सा आया हुआ है चौसाला जमाबंदी 2019 से 2022 में रामु हटाकर वगता के पिछे राम जोड़ दिया है व मेरा नाम हटा दिया है जो एक लिपिकीय भूल है। बाबुलाल को बेचान की गई भूमि गलत है यह मेरे बाप दादाओं की भूमि है 1/4 हिस्से पर मेरा काश्त कब्जा है तथा 1/4 हिस्सा अनुसार में वादी 6 बीघा 8 बिस्वा की खातेदारी पाने का हकदार हूं उक्त गवाह में जिरह में बताया कि 3 हिससे का हकर्तक किया है व गलत है मेने संवत 2021 से 2022 में दावा नहीं भरा था यह कहना गलत है कि वादग्रस्त आराजी पर मेरा कब्जा न हो इसी प्रकार वादी के गवाह पीडब्ल्यू 1 वगता जो वादी का सगा भाई इस गवाह ने अपने सशपथ बयानों में बताया कि जगरूपा के 4 लड़के रूगनाथ, जैराम, रामु व मैं वगता हूं तथा ग्राम पालड़ी सोलंकियान में हमारे बाप दादाओं की देसी 7 बिघा जमीन आई हुई है जिसमें हम प्रत्येक का 1/4, 1/4 हिस्सा आया हुआ है। इसी प्रकार वादी के गवाह पीडब्ल्यू 3 पुनमाराम, पीडब्ल्यू 4 हापुराम ने भी अपने सशपथ बयानों में एक ही स्वर में वादग्रस्त आराजी में वादीगण का 1/4 हिस्सा होना व रामु का नाम वगता के आगे वगताराम लिखकर हटाना बताया है। इस प्रकार खतौनी बंदोबस्त संवत् 2012 से 2031 जमाबंदी संवत् 2019 से 2022 व वादी एवं वादी के तमाम गवाहान् के कथनों अनुसार तथा प्रकरण में प्रतिवादी वगता एवं हापुराम द्वारा पेश इकबाली जवाब से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि मौजा पालड़ी सोलंकियान के पुराना खेत खसरा संख्या 137, 220, 221, 223 से नवीन सृजित खसरा संख्या 354, 355, 501 जुमले रकबा 4.45 हेक्टेयर भूमि में वादीगण 1/4 हिस्सा की खातेदारी पाने के हकदार है तथा जमाबंदी चौसाला संवत् 2019 से 2022 तैयार करते समय वादीगण के पिता रामु उर्फ रामुड़ा का नाम लिपिकीय भूल से वगता के साथ वगताराम लिखकर हटा दिया गया है जिससे सुधारा जाना न्यायसंगत प्रतीत होने से तनकी संख्या 1 वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 02 :– उक्त तनकी सिद्व करने का जिम्मा वादीगण पर होने से इस संबंध में वादी के जमाबंदी संवत् 2038 से 2041 की प्रदर्श पी 10 पेश की जिसमें वादग्रस्त आराजी खेत खसरा संख्या 137 में हापु वल्द हीरा जी 2/3 हिस्सा दर्ज होना साबित है तथा वादी रामु के बयानों से भी यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी रूगनाथ [illegible] की खसरा संख्या 137 रकबा 12 बीघा भूमि में से अपनी [illegible] जिसका नामान्तरकरण संख्या 189 वादी के पक्ष में हुआ [illegible] प्रतिवादी हापुराम को बैचान की वादी ने अपने वाद बताया है परन्तु प्रतिवादी हापुराम इस सं[illegible]में वाद में किसी प्रकार काउण्टर क्लैम नहीं किया गया। वादीगण को प्रतिवादी हापुराम को खातेदारी दिलाने का कानूनन अधिकार नहीं है। इस संबंध में प्रतिवादी हापुराम अपने हक के लिये चाराजोरी करने में स्वतंत्र है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kum
Date: 2025.04.24 17:02:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट्रेक) सांचौर

तनकी संख्या 03 :– उक्त तनकी सिद्व करने का जिम्मा वादीगण पर होने से वादीगण द्वारा मिसल बंदोबस्त संवत् 2012 से 2031 प्रदर्श 5, जमाबंदी संवत् 2019 से 2022 प्रदर्श 6 पेश की उक्त दोनों दस्तावेजात् से संवत् 2019 से 2022 जमाबंदी प्रदर्श 6 तैयार करते वक्त ''रामू'' का नाम वगता के साथ ''वगताराम'' करके भूलवंश लिखा जाना प्रतीत होता है तथा इस तथ्य की पुष्टी प्रतिवादी स्वयं वगता के इकबाली जवाब व उसके सशपथ बयानों से होती है। ऐसी सुरत में उक्त लिपिकीय भूल को कानून की मंशा अनुसार सुधारा जाना न्यायसंगत होने से तनकी संख्या 3 वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 04 :– उक्त तनकी सिद्व करने का जिम्मा वादीगण पर होने से इस संबंध में वादग्रस्त आराजी के 1/4 हिस्से पर वादीगण का काश्त कब्जा होने के संबंध में गवाह पीडब्ल्यू1 वादी स्वयं पीडब्ल्यू 2 प्रतिवादी वगता, पीडब्लयू 3 पूनमाराम, पीडब्ल्यू 4 हापुराम के बयान लेखबद्व करवाकर उक्त वादग्रस्त आराजी पर 1/4 हिस्से पर वादीगण का लगातार काश्त कब्जा होने का कथन किया गया परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा उक्त आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त नहीं होने के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया गया है न ही वादीगण की साक्ष्य का किसी ठोस साक्ष्य सबूत से खण्डन किया गया है। ऐसी सूरत में तनकी संख्या 4 वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 05 :– उक्त तनकी सिद्व करने का जिम्मा प्रतिवादीगण पर होने से प्रतिवादीगण द्वारा शुरू से यानि संवत् 2012 से उक्त आराजी रूगनाथ, जैराम, वगताराम पिसरान जगरूपा के नाम से होने के संबंध में कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत खतौनी बंदोबस्त संवत् 2012 से 2031 प्रदर्श 5 से खात संख्या 57 में रूगनाथ, जैराम, वगता, रामूडा पिसरान जगरूपा दर्ज है व इसी प्रकार खाता संख्या 56 में भी रूगनाथ, जैराम, वगता, राम पिसरान जगरूपा नाम दर्ज है। इसके उपरान्त प्रतिवादीगण वगता द्वारा उक्त वाद को स्वीकार करते हुए इकबाली जवाब पेश किया है व उक्त आराजी संवत् 2012 से 2031 की खतौनी बंदोबस्त में रामू का 1/4 हिस्सा दर्ज था तथा जमाबंदी चौसाला संवत् 2019 से 2022 तैयार करते समय भूलवंश मेरे नाम के आगे राम जोड़ कर रामू का नाम हटा दिया गया है, अपने सशपथ बयान में बताया है ऐसी सूरत में उक्त आराजी शुरू से ही रूगनाथ, जैराम, वगता के नाम होना साबित करने में प्रतिवादीगण पूर्णतया अस[illegible] से तनकी संख्या 5 प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kum
Date: 2025.04.24 17:02:33 IST
Reason: SelfAttested

तनकी संख्या 06 :– उक्त तनकी सिद्व करने का जिम्मा प्रतिवादीगण पर होने से इस संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा जमाबंदी ईएक्स डी8 पेश की तथा मौजा पालड़ी सोलंकियान के खसरा संख्या 24, 34, 538 539 में रामुड़ा पिसराम जगरूपा के नाम सहखातेदारी होना साबित किया गया है परनतु उक्त आराजी का वादग्रस्त आराजी से क्या संबंध है। क्या उक्त आराजी वादग्रस्त आराजी के बदले रामुड़ा को बंट में दी गई है या उक्त

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

आराजी रामुडा की स्वअर्जित है, इस संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा कोई स्पष्ट नहीं करवाया गया है, ऐसी सुरत में उक्त ईएक्स डी 8 में वर्णित आराजी का वादग्रस्त आराजी से कोई संबंध होना प्रकट नहीं होने से तनकी संख्या 6 प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

फलतः उपरोक्त विश्लेषण व विवेचन से वादीगण की ओर से प्रस्तुत हस्तगत वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता हैं

:— आदेश :—

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा पालड़ी सोलंकियान के नवीन खेत खसरा संख्या 354 रकबा 0.86 हैक्टेयर, खसरा संख्या 355 रकबा 1.08 हैक्टेयर, खसरा संख्या 501 रकबा 2.51 हेक्टेयर जुमले रकबा 4.45 हैक्टेयर में 1/4 हिस्सा की खातेदारी वादीगण भाखराराम, किशनाराम, मालाराम, बाबुलाल पिसरान रामुड़ा उर्फ रामू व गैरा देवी पत्नी रामुड़ा उर्फ रामू जातियान बिश्नोई साकिनान् पालड़ी सोलंकियान व काछेला के नाम घोषित की जाकर तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त खसरा नंबरान् में वादीगण के नाम 1/4 हिस्सा की खातेदारी दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें। इस आशय की से तहसीलदार सांचौर के नाम तहरीर जारी हो तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 (1 से 4), 2(1), 3, 4 व 5 के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाकर पाबंद किया जाता है कि वह उक्त आराजी में वादीगण के 1/4 हिस्सा में कब्जे काश्त में न तो स्वयं दखलंदाजी करें व न ही किसी अन्य से करावें। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना अपना वहन करें।

(सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, फास्ट ट्रेक सांचौर (जालोर), जिला जालोर)

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
सहायक कलेक्टर (फास्ट–ट्रेक) सांचौर, जिला–जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.04.24 17:02:33 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक **19.02.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, फास्ट ट्रेक सांचौर (जालोर), जिला जालोर)

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) सांचौर, जिला–जालोर